न्यायालय, अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय-II, भोजपुर आरा।
उत्पाद थाना सनहा संख्याः–S.D.N 239/22
सी0आई0एस0 उत्पाद वाद संख्याः–3562/22

17.12.22 सनहा प्रपत्र प्राप्त हुआ। देखा। कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि इसे पंजीबद्ध करें।

अभियुक्त **1.राजेश यादव 2.पंकज कुमार** को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 37 के अंतर्गत गिरफ्तार कर उचित मार्ग रक्षा दल के सदस्यों के साथ न्यायालय में ब्रेथ एनालाईजर रिपोर्ट/साक्ष्य ज्ञाप/अग्रसारण प्रतिवेदन एवं प्रपत्र VI के साथ प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त पुलिस बल के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं करते हैं तथा उनकी गिरफ्तारी की सूचना उनके घरवालों को दी गई। अभियुक्त को बताया गया कि उसे अपने बचाव करने का पूरा अधिकार है। आर्थिक विपन्नता की स्थिति में उसे सरकारी अधिवक्ता नियुक्त की जायेगी परन्तु अभियुक्त द्वारा अपना दोष स्वीकार किया गया तथा इस संबंध में प्रपत्र VI क प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख तथा अभियुक्त द्वारा दाखिल प्रपत्र VI क का अवलोकन किया गया एवं उसकी दोष स्वीकृति को प्रपत्र संख्या–VII में अंकित किया गया। अभियुक्त के दोष स्वीकार के आधार पर उसे पॉच–पाँच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया अथवा अर्थदंड अदा न किये जाने पर 30–30 दिन का साधारण कारावास से दंडित किया गया।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-II
भोजपुर, आरा।

अभियुक्त **1.राजेश यादव 2.पंकज कुमार** की ओर से अधिरोपित अर्थदंड राशि प्रस्तुत की गई जिसकी प्रविष्टि फाईन चेक बुक संख्या .....683459......में है। तदोपरांत अभियुक्तगण को मुक्त किया गया एवं वाद की कार्रवाई
समाप्त की गई।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अर्थदंड की राशि नजारत में जमा कर रसीद अभिलेख के साथ संलग्न करें। कार्यालय प्रावधानिक अवधि के बाद अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-II
भोजपुर, आरा।